निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 14 / 2020
दायरा दिनांकः– 13.01.2020
निर्णय दिनांकः– 27.08.2025

उनवान

मुस० सुमित्रा पुत्री जगमोहन जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा पत्नि बृजमोहन मीना निवासी आंखाखेड़ी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

.....वादनी

बनाम

1. कन्हैयालाल आयु 70 वर्ष आत्मज प्रभुलाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा
1/1 रामसिंह आयु 45 वर्ष आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज०)
1/2 मुस० केसर आयु 75 वर्ष बैवा कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज०)
2 चतरा आयु 65 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा
3. रामप्रसाद आयु 35 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा
4. रामभरोस आयु 35 वर्ष आत्मज माणकचन्द जाति मीना मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज०)
5. रामकल्याण आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा (मृतक)
5/1 कैलाश आयु 35 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज०)
5/2 धनराज आयु 30 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीना मीना निवासी
5/3 पवन आयु 27 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा
5/4 मुस० बतुल आयु 55 वर्ष बेवा रामकल्याण जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारां (राज०)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज०)
7. उप पंजियन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 एवं 188 आर०टी०एक्ट

निर्णय दिनांकः– 27.08.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – वादी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा जिला बारां में भूमियां खसरा नम्बरान 190 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 384 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 385 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 473 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 541 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, कुल 8 किता आराजीयात मवाजी 16 बीघा 04 बिस्वा अवस्थित है। जो पूर्व में वादनी के दादाजी प्रभु आत्मज दोला मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा जिला बारां के खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं थी, उक्त वर्णित खातेदार प्रभु का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उक्त वर्णित भूमियां उसके वारिसान उसके पुत्र प्रति० क्रम 1 ता 3 काना, चतरा, रामप्रसाद तथा जगमोहन, माणकचंद एवं प्रभु की पत्नि मुस०पारा के नाम खातेदारी में दर्ज हुई, जिसमें से पारा एवं जगमोहन तथा माणकचंद का स्वर्गवास हो चुका है, जगमोहन के कोई पुत्र रत्न नहीं होने के कारण उसकी जायज वारिस तथा कायम मुकाम एक मात्र पुत्री वादनी है तथा माणकचंद का जायज वारिस तथा कायम मुकामान उसका पुत्र रामभरोस प्रतिवादी क्रम संख्या 4 है, इस प्रकार उक्त वर्णित भूमियों के वादनी तथा प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 4 सम्भाग से अर्थात् वादनी हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी कम 1 हिस्सा 1/5 प्रतिवादी क्रम संख्या 2 हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादी क्रम संख्या 3 हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 4 हिस्सा 1/5 के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर शामलाती खातेदार है। इसी प्रकार से ग्राम कुन्डी तहसील छबड़ा जिला बारां में भूमियां खसरा नम्बरान 218 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, खसरा नम्बर 386 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 492 रकबा 5 बीघा 19 बिरवा, खसरा नम्बर 559 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, कुल 4 किता आराजीयात मवाजी 13 बीघा 18 बिस्वा, अवस्थित है. जो पूर्व में वादनी के दादा प्रभु एवं अमरा तथा गिरधारी के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रहीं थी, उक्त वर्णित भूमियों में अमरा तथा गिरधारी का 1/3–1/3 हिस्सा अर्थात् कुल 9 बीघा 05 बिस्वा होने के कारण उन्होंने अपना हिस्सा पृथक खातेदारी में दर्ज करवा लिया, जो उनकी मृत्यु के बाद उनके कायम मुकामान के नाम खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है. अमरा एवं गिरधारी के हिस्से की पृथक खातेदारी में दर्ज भूमियों के सम्बध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है. शेष मृतक प्रभु के 1/3 हिस्से की भूमियां खसरा नम्बर 218/1 रकबा 13 बिस्वा, 559/1 रकबा 4 बीघा, कुल किता 2 आराजीयात मवाजी 4 बीघा 13 बिस्वा, के मृतक खातेदार प्रभु एवं उसकी पत्नि पारा के जायज वारिस तथा कायम मुकामान उसके पुत्र वादनी का पिता जगमोहन एवं प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ता 3 तथा मृतक पुत्र माणकचंद है. माणकचंद का स्वर्गवास हो गया है, जिसका जायज वारिस तथा कायम मुकामान उसका पुत्र प्रतिवादी कम संख्या 4 रामभरोस है. इसी प्रकार से जगमोहन का स्वर्गवास हो जाने एवं उसके कोई पुत्र रत्न नहीं होने के कारण वादनी ही उसकी एक मात्र पुत्री होने की वजह से उसकी जायज वारिस तथा कायम मुकाम है. इस प्रकार मृतक प्रभु के 1/3 हिस्से की उक्त वर्णित भूमियों के वादनी हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी कम संख्या 1 हिस्सा 1/5तथा प्रतिवादी कम संख्या 2 हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादी कम संख्या 3 हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी कम संख्या 4 हिस्सा 1/5 के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर शामलाती खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वाद पत्र की मद नम्बर 1 एवं 2 में वर्णित भूमियों के वादनी तथा प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 4 सम्भाग के हिसाब से वैधानिक एवं कानूनी तौर पर शामलाती खातेदार होने के कारण उक्त वर्णित भूमियों का उपयोग एवं उपभोग वादनी एवं प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 4 उक्त अनुपात से करने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। वादनी के पिता जगमोहन की मृत्यु हो जाने के पश्चात् वादनी ने अपने पिता के 1/5 हिस्से की भूमियों के प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 4 को काश्त करने हेतु सम्मला दी थी, उक्त 1/5 हिस्से की भूमियों का लाभान्श प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 4 कभी फसल के रूप में एवं कभी नगद के रूप में वादनी को देते रहे। वादनी के पिता जगमोहन की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके भाई प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी कम संख्या 4 के पिता माणकचंद जो कि चालाक किस्म के जाल–साज व्यक्ति होने के कारण उन्होंने प्रतिवादी कम संख्या 5 तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारीयों से सांठ–गांठ कर वादनी जो कि मृतक जगमोहन की एक मात्र पुत्री है. एवं मृतक जगमोहन की चल–अचल सम्पति की वैधानिक एवं कानूनी तौर पर स्वामी मालिक एवं उक्त वर्णित भूमियों के हिस्सा 1/5 के खातेदार है. के तथ्यों छुपाते हुए एवं वादनी के ससुराल में होने का नाजायज लाभ उठाते हुए चुपचाप एक पक्षीय तौर पर बिना सुचना एवं बिना जानकारी एवं बगैर अनुमति वादनी के अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से इंतकाल नम्बर 318 तस्दीक करवाकर वादनी के मृतक पिता जगमोहन के 1/5 हिस्से की भूमियों को अपने तथा अपनी मृतक माता पारा के नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज करवा लिया जिसका कि उसको किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था और नहीं प्रतिवादी कम संख्या 5 तहसीलदार छबड़ा को बिना सूचना एवं बिना जानकारी तथा बगैर अनुमति वादनी के चुपचाप एक पक्षीय तौर पर मृतक जगमोहन के जायज वारिस तथा कायम मुकामान की जांच किये बिना ही उक्त इंतकाल तस्दीक करने का किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, अतः इंतकाल नम्बर 318 ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा को वादनी के मृतक पिता जगमोहन के 1/5 हिस्से तक अवैध एवं प्रभाव शून्य होने के कारण वादनी उक्त इंतकाल मृतक जगमोहन के 1/5 हिस्से तक खारिज करने की वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 3 एवं माणकचंद तथा पारा के नाम वादनी के मृतक पिता जगमोहन के 1/5 हिस्से की भूमियों को उनकी खातेदारी में दर्ज हो जाने की जानकारी वादनी को माह जुलाई सन् 2019 को पटवारी हल्का द्वारा दिये जाने के पश्चात् वादनी ने प्रतिवादी कम संख्या 5 तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारीयों से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूमियों का तस्दीक किया गया इंतकाल नम्बर 318 ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा को चादनी के मृतक पिता जगमोहन के 1/5 हिस्से की भूमियों तक अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित कर उक्त इंतकाल को उक्त 1/5 हिस्से तक खारिज कर उक्त हिस्से पर प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 4 को प्राप्त खातेदारी को निरस्त कर उक्त 1/5 हिस्से की भूमियों को वादनी के नाम खातेदारी में दर्ज करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वादनी की कोई सुनवाई नहीं की अंत में दिनांक 2/12/2019 को पुन अनुरोध करने पर प्रतिवादी कम संख्या 5 तहसीलदार छबड़ा द्वारा वादनी को सक्षम न्यायालय में खातेदारी का वाद पेश करने की हिदायत दी। जगमोहन के 1/5 हिस्से की भूमियों का लाभांश अर्सा एक वर्ष पूर्व से वादनी को अदा करना बंद कर देने पर वादनी ने प्रतिवादीगण कम संख्या 1 लगायत 4 से कई

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

3/6

मर्तबा उक्त वर्णित भूमियों का विभाजन कर वादनी के मृतक पिता जगमोहन के 1/5 हिस्से की भूमियों को वादनी के नाम पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का अनुरोध किया किन्तु टालमटूल करते रहे अंत में दिनांक 29/12/2019को पुनः अनुरोध करने पर उन्होंने कतई इंनकार कर भूमियों को अन्यत्र रहन, वैय तथा हस्तान्तरण करने की वादनी को धमकी दी अतः यही दिनांक 29/12/2020 बिनाय मुखासत वाद कायम किया जाता है। वादनी अपने मृतक पिता जगमोहन की एक मात्र पुत्री होने के कारण इंतकाल नम्बर 318 मृतक जगमोहन के 1/5 हिस्से हिस्से तक खारिज कराने एवं उक्त वर्णित भूमियों के हिस्सा 1/5 मृतक जगमोहन को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने एवं भूमियों का विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के हिसाब से कराकर विभाजित शुदा भूमिया हिस्सा 1/5 को अपने नाम पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने की वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है, तथा उक्त हिस्से पर किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करने बाबत् भी प्रतिवादीगण कम संख्या 1 ता 4 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबंद कराने की वादनी अधिकारणी है।

वादनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त। बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2012–31 खाता सं. 135 प्रदर्श 1, नकल खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2012–31 ग्राम कुण्डी खाता सं. 124 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी ग्राम कुण्डी सम्वत 2071–74 खाता सं. 16 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी ग्राम कुण्डी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 193 प्रदर्श 4, नकल नामान्तरकरण नं0 222 दिनांक 23.05.1981 ग्राम कुण्डी प्रदर्श 5, नकल नामांतरण सं. 318 दिनांक 24.05.1986 ग्राम कुण्डी प्रदर्श 6 पेश किये गये। साक्ष्यवादी में सुमित्रा बाई, ब्रजमोहन, धन्नालाल, राजाराम, के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कुण्डी तहसील छबडा में स्थित है। जो पूर्व मे वादनी के दादाजी प्रभू पुत्र दोला जाति मीणा के खाते मे दर्ज थी। खातेदार प्रभू का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व जगमोहन, माणकचंद तथा पत्नि पाराबाई के खातेदारी मे दर्ज हुई। पाराबाई व जगमोहन एवं माणकचंद का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज की गई। जगमोहन की एक मात्र पुत्री वादनी है। जिसके खाते मे भूमि दर्ज नही की गई। मृतक जगमोहन की भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज की गई जो कानूनन गलत है। वादीया अपने पिता की भूमि मे अपना नाम हिस्सा 1/5 पर दर्ज कराने की अधिकारी है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। वादनी पैतृक सम्पत्ति मे अपना 1/5 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादनी का कोई भाई नही था। एकमात्र संतान वादनी थी। परंतु

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादनी के पिता जगमोहन की मृत्यु के बाद पिता जगमोहन के भाईयों द्वारा जगमोहन के खातेदारी की भूमि अपने खाते दर्ज करवा ली गई। मृतक खातेदार जगमोहन के जायज वारिसान की बिना जांच किये नामान्तरण सं. 318 ग्राम कुण्डी तस्दीक किया गया है जो अवैध एवं प्रभावशून्य होने के कारण खारिज कर, वादिया का नाम बतौर खातेदार हिस्सा 1/5 दर्ज किया जावे। वादिया अपने पिता मृतक जगमोहन के खाते की भूमि मे अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है अतः वादनी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–31 ग्राम कुंडी (प्रदर्श–1) में प्रभू वल्द दोला मीना सा. दे. बतौर खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012–31 ग्राम कुंडी (प्रदर्श–2) में अमरा, प्रभू, गिरधारी पुत्र दौला जाति मीना सा. दे. बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 ग्राम कुंडी (प्रदर्श–3) में काना, चतरा रामप्रसाद पुत्र प्रभू , रामभरोस पुत्र माणकचंद जाति मीणा सा. दे. बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम कुंडी संवत 2071–74 (प्रदर्श–4) पत्रावली मे संलग्न है। नकल नामन्तरण सं. 222 दिनांक 23/5/81 ग्राम कुंडी से खातेदार प्रभू के स्थान पर वादिनी के पिता जगमोहन एवं काना, चतरा, रामप्रसाद, माणकचंद व बेवा पारा का नाम दर्ज हुआ। नकल नामांतरण नं. 318 दिनांक 24/5/1986 ग्राम कुंडी से जगमोहन के फोत होने पर नामान्तरण अन्य वारिसों के दर्ज किया गया।

इस प्रकरण मे मुख्य अनुतोष यह है कि वादनी के पिता के फौत होने पर वादनी को हिस्सा नहीं दिया गया तथा नामांतरकरण सं. 318 दिनांक 24.05.1986 के तहत उक्त विवादित आराजी अन्य वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। इसलिए वादनी ने अपने हिस्से की 1/5 भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पत्र पेश किया है। यहां यह विचारणीय है कि वादनी द्वारा 24.05.1986 के नामातंरकरण को लगभग 30 वर्षो बाद चुनौती दी गई है तथा इसके पूर्व नातांतरकरण सं. 318 दिनांक 24.05.1986 के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई है। वादनी सुमित्रा, मीणा जनजाति की महिला है। जिसके द्वारा यह साबित नही किया गया है कि वादनी किस उत्तराधिकार अधिनियम/जनजातीय प्रथाओ के आधार पर 1/5 हिस्से पर अधिकार रखती है। विद्वान अभिभाषक वादनी द्वारा प्रस्तुत तर्क कि "हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादनी 1/5 हिस्से पर अपना अधिकार रखती है" यदि मान भी लिया जावे तब भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) 2005 की धारा 6(1) के तहत 20.12.2014 से पूर्व हुए भूमि हस्तांतरण (संपत्ति का कोई विभाजन) पर यह एक्ट लागू नही होता। अतः उपरोक्त के क्रम मे वादनी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमानुसार साबित नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

5/6

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादनी का वाद चलने योग्य नही होने ने खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 14 / 2020	धारा 53,88,89,91,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:–27.08.2025
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री अरविन्द प्रताप सिंह	अभिभाषकप्रतिवादी:– श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

मुस० सुमित्रा पुत्री जगमोहन जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा पत्नि बृजमोहन मीना निवासी आंखाखेड़ी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. कन्हैयालाल आयु 70 वर्ष आत्मज प्रभुलाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा
1/1 रामसिंह आयु 45 वर्ष आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तह0 छबडा
1/2 मुस० केसर आयु 75 वर्ष बैवा कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तह0 छबडा
2. चतरा आयु 65 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा
3. रामप्रसाद आयु 35 वर्ष आत्मज प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबड़ा
4. रामभरोस आयु 35 वर्ष आत्मज माणकचन्द जाति मीना मीना निवासी ग्राम कुण्डी तह0 छबडा
5. रामकल्याण आत्मज कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा (मृतक)
5/1 कैलाश आयु 35 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तह0 छबडा
5/2 धनराज आयु 30 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीना मीना निवासी
5/3 पवन आयु 27 वर्ष आत्मज रामकल्याण जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तहसील छबडा
5/4 मुस० बतुल आयु 55 वर्ष बेवा रामकल्याण जाति मीना निवासी ग्राम कुण्डी तह0 छबडा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज०)
7. उप पंजियन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

न्यायालय निर्णयानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.08.2025.को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		